संख्या– 189 / VII-1 / 2018 / 3(रा०मु०) / 10

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय,
उत्तराखण्ड रूड़की।

औद्योगिक विकास अनुभाग–   देहरादून, दिनांकः 03 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2018

विषयः राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड रूड़की के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों का प्रतिशत के आधार पर किये जाने वर्गीकरण की शासन स्तर से स्वीकृति प्रदान किये जाने संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड रूड़की के पत्र संख्या–2084 / स्थापना / 2017–18, दिनांक 17 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ एवं कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–90 / XXX(2) / 2016–30(51)15, दिनांक 26 जुलाई, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1846 / VII-1 / 03–रा०मु० / 2010, दिनांक 22 जुलाई, 2010 द्वारा राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड रूड़की के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र०सं०	पदनाम	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का प्रतिशत	पदों की संख्या
1.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	6 %	4
2.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	8 %	5
3.	प्रशासनिक अधिकारी	8 %	5
4.	प्रधान सहायक	18 %	11
5.	वरिष्ठ सहायक	28 %	17
6.	कनिष्ठ सहायक	32 %	20
	योग		62

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या– 189 (1) / VII-1 / 2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3. कोषाधिकारी, रूड़की।
4. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव